

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
38-एस. डी. ए. कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला -171009

संख्या 3-16/2023-ई0एल0एन0-8728

दिनांक: 20 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

संख्या 3-16/2023-ई0एल0एन0 भारत निर्वाचन आयोग के आदेश सं076/हि0प्र0-लो0स0/04/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक 12 दिसम्बर, 2024, तदानुसार 21 अग्रहायण, 1946 (शक) जो कि हिमाचल प्रदेश के 04-शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुरेश कुमार द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में अभ्यर्थी को तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित घोषित करने के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

नंदिता गुप्ता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फा.सं.76/हि.प्र.-लो.स./04/2024 सी.ई.एम.एस.-1

दिनांक: 12 दिसम्बर, 2024
21 अग्रहायण, 1946 (शक)

आदेश

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 07 मई, 2024 की अधिसूचना सं. 110 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हिमाचल प्रदेश **04-शिमला** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जूलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, शिमला की दिनांक 03.07.2024 की रिपोर्ट जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 19.07.2024 के पत्र सं0 3-1/2024-ईएलएन-ईईएम-VII-3114 से प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री सुरेश कुमार** जो हिमाचल प्रदेश के **04- शिमला** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, जो अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **शिमला** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री सुरेश कुमार** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/हि. प्र.-लो. स./04/2024/सी.ई.एम.एस.-1** दिनांक **19 सितम्बर, 2024** जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री सुरेश कुमार** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला, को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश से दिनांक **09 अक्टूबर, 2024** के पत्र सं. 3-1/2024-ईएलएन-ईईएम-X-8514, के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **शिमला** ने अपनी पत्र सं0 नाहन -173001 दिनांक **5 अक्टूबर, 2024** में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री सुरेश कुमार** को दिनांक 05.10.2024 को तामील किया गया था, और

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ने पत्र सं० 3-1/2024-ईएलएन-ईईएम-X-8652 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, शिमला की अनुपूरक रिपोर्ट सं. एसएमएल-7-1/2023-ईएलईसी-II-3037-39 दिनांक 04.10.2024 अग्रेषित किया और बताया कि श्री सुरेश कुमार ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरान्त, श्री सुरेश कुमार ने निर्धारित अवधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरेश कुमार अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के साधारण निर्वाचन, 2024 के 04-शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुरेश कुमार, गृह सं० 163/11, मोहल्ला-रामदासिया, नाहन, जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश 173001 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे ।

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र
सचिव

सेवा में,

श्री सुरेश कुमार,
गृह सं० 163/11,
मोहल्ला- रामदासिया, नाहन,
जिला-सिरमौर,
(हि०प्र०) 173001

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/HP-LS/04/2024/CEMS-1

Dated: 12th December, 2024
21 Agrahayana, 1946 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Lok Sabha from Himachal Pradesh, 2024 was held in pursuance of the Election Commission of India vide Notification No. 110, dated 07th May, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **04-Shimla (SC) Parliamentary Constituency of Himachal Pradesh**, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 04th July, 2024; and

WHEREAS, as per report of the District Election Officer, Shimla letter dated 03.07.2024 received from Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh vide his letter no.3-1/2024-ELN-EEM-VIII-3114, dated 19.07.2024 under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri Suresh Kumar**, a contesting candidate from **04-Shimla (SC) Parliamentary Constituency of Himachal Pradesh**, 2024 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, Shimla, a Show-Cause notice No. 76/HP-LS/04/2024/CEMS-1, dated 19th September, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Suresh Kumar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Shri Suresh Kumar**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Shimla** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh vide his letter no.3-1/2024-ELN-EEM-X-8514 dated 09.10.2024 forwarded the report to the District Election Officer, **Shimla** dated **05.10.2024** it was informed that notice was served to **Shri Suresh Kumar, dated 05.10.2024; and**

WHEREAS, the CEO, Himachal Pradesh vide letter No. 3-1/2024-ELN-EEM-X-8652, dated 08.11.2024 forwarded the District Election Officer, **Shimla** Supplementary Report No. **SML-7-1/2023-Elec-11-3037-39 dated 04.10.2024** and reported that **Shri Suresh Kumar,** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri Suresh Kumar,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Suresh Kumar, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Suresh Kumar, H.No.163/11 Mohalla Ramdasiya Nahan, Distt. Sirmour (HP) Pin-173001, Distt. Shimla and a contesting candidate in **04-Shimla (SC) Parliamentary Constituency of General Election to the Lok Sabha of Himachal Pradesh, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.**

By Order,

**SUJEET KUMAR MISHRA
SECRETARY**

To

**Sh. Suresh Kumar,
H.No.163/11 Mohalla Ramdasiya Nahan,
Distt. Sirmour (HP) Pin-173001,**